FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

आज्ञापत्र स्वीकार 09/8/2021

ABP-A

Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अनिल कुमार पुत्र सोमदत्त बनाम राम नारायण पुत्र श्री धाराम जाति जाति ब्राह्मण। जाट व अन्य।

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र बाजदायरी नम्बर 165/2021 सन् 20

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री दीपक पारीक श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
3.8.21	यह प्रार्थना पत्र बाबत् बाजदायरी श्री दीपक पारीक एडवोकेट ने न्यायालय हाजा के द्वारा अपील को दिनांक 28.07.2021 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने से प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रार्थना पत्र वास्ते सुनवाई दिनांक 04.08.2021 को पेश हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
4.8.21	प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थी को बाजदायरी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बाजदायरी निवेदन किया कि अपील में मान्नीय न्यायालय द्वारा बरवक्त लगवाये जाने आवाजें प्रार्थी अधिवक्ता अन्य न्यायालयों में व्यस्त होने के कारण प्रार्थी/अभिभाषक उपस्थित नहीं हो सके और बाद में जब उपस्थित हुए तो पता चला कि न्यायालय द्वारा अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को यह आवश्वासन दे रखा था कि हर पेशी पर आने की आवश्यता नहीं है जब भी जरूरत होगी सूचना कर देगे इस कारण प्रार्थी नियत दिनांक को मान्नीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि अपील को आदेश 09 नियम 3 जाप्ता दीवानी में खारिज किया जाता है तो उसके लिए आदेश 09 नियम 4 जाप्ता दीवानी में बाजदायरी होती है इसलिए अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस की जरूरत नही होती है। न्यायहित में उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किया जाना आवश्यक है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि बाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त अपील को पुनः मूल नम्बर पर लिया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर किये जाने के न्यायहित में आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक प्राथीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते है। **अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार किया जाता है एवं अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	